विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-07/19

श्री प्रभुदास मनोहरदास शाह, — **आवेदक**
द्वारा – श्री विजय प्रभुदास शाह,
राजपुरा गेट के पास,
बुरहानपुर (म0प्र0) – 450331

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (शहर) संभाग, — **अनावेदक**
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
बुरहानपुर (म.प्र.)

आदेश
(दिनांक 26.02.2020 को पारित)

01. आवेदक श्री प्रभुदास मनोहरदास शाह द्वारा – श्री विजय प्रभुदास शाह, राजपुरा गेट के पास, बुरहानपुर (म0प्र0) ने अपने लिखित अभ्यावेदन दिनांक – 17.06.2019 से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर एवं उज्जैन क्षेत्र के प्रकरण क्रमांक W0354716 दिनांक 26.04.2019 से पीड़ित एवं दुखी होकर इस आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है। यह अपील दिनांक 11.07.2019 को कार्यालय में प्राप्त होकर प्रकरण क्रमांक एल00–07/2019 पर दर्ज की गई ।

02. आवेदक ने अपनी लिखित अपील में प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार प्रस्तुत किए हैंः–

आवदेक के पिता नाम प्रभुदास पिता मनोहर दास के नाम से तहसील बुरहानपुर के ग्राम चिंचाला में स्थित कृषि भूमि पर कृषि कार्य हेतु स्वीकृत भार 05 एच.पी. का विद्युत कनेक्शन क्रमांक 75–22–42068 विगत कई वर्ष पूर्व प्रदान किया गया है, आवेदक के पिता का देहान्त हो जाने के कारण उक्त कनेक्शन का उपयोग उपभोग अपीलार्थी/ आवेदक द्वारा किया जा रहा है ।

उक्त कृषि विद्युत कनेक्शन का कनेक्शन स्थापना दिनांक से माह मार्च 2016 तक की अवधि में टैरिफ एल.वी. 5.4 के अनुसार 06 माही प्रति हासपावर 100/– रू. के हिसाब से जारी किए जा रहे थे किन्तु माह मार्च 2016 के पश्चात् से अनावेदक ने आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिए एवं उसकी बिना सहमती प्राप्त किए अपनी सुविधा की दृष्टि से मनमाने ढंग से म.प्र. शासन की फीडर सैप्रेशन योजना के दिशा निर्देश का गलत ढंग से कार्यवाही की जाकर आवेदक के उक्त कृषि विद्युत कनेक्शन को ग्रामीण क्षेत्र से हटा कर 'शहरी क्षेत्र में जोड़ कर कथित रूप से मीटर स्थापित कर मीटर रीडिंग अनुसार मासिक बिल जारी करने पर वर्तमान शिकायत माननीय अधिनस्थ फोरम के समक्ष प्रस्तुत कर पुनः आवेदक को मीटर पद्धति के स्थान पर फ्लेट रेट अनुसार 06 माही बिल जारी करने का निवेदन किया गया था ।

उपरोक्त तारतम्य में अनोवदक द्वारा अपना जवाब माननीय अधिनस्थ फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. इंदौर के प्रबंध निदेशक के परिपत्र क्रमांक 05/15/इंदौर दिनांक 01.01.16 के अनुसार 'शहरी क्षेत्र के समस्त सिंचाई पम्प जिन्हें 24 घंटे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है उक्त कनेक्शनों पर 15 दिवस में मीटर स्थापित कर दिए जावे एवं उसकी बिलिंग टैरिफ आदेश वर्ष 2015–16 सिचांई पम्पो के लिए निर्धारित दर एल.वी 5.1 से की जावे एवं सब्सिडी 'शासन के आदेश अनुसार की जावे, का हवाला देते हुए आवेदक के कनेक्शन पर मीटर स्थापित कर उक्त कनेक्शन पर 24 घंटे विद्युत प्रदाय किया जाना दर्शा कर म.प्र. विद्युत नियामक आयोग भोपाल के टैरिफ आदेश वर्ष 2015–16 के अनुसार निर्धारित दर एल.वी. 5.1 एवं कंपनी के उपरोक्त परिपत्र अनुसार बिलिंग की जा रही है जो नियम अनुसार देयक जारी होने से आवेदक का प्रकरण सव्यय समाप्त किए जाने का उल्लेख किया गया था ।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर माननीय फोरम द्वारा दिनांक 12/01/17 को आवेदक के पक्ष में आदेश पारित करते हुए आवेदक की उक्त शिकायत स्वीकार की जाकर निम्नानुसार आदेश पारित किया गया था जिसकी प्रति संलग्न हैः–

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है, परिवादी को फलेट रेट के आधार पर बिलिंग की जावे एवं पूर्व में परिवादी से अधिक राशि जमा कराई गई है उसका समायोजन आगामी बिल में किया जावे एवं मीटर लगा कर उपभोग की जानकारी लेने व सब्सिडी गणना के लिए मीटर लगाने हेतु विपक्ष स्वतंत्र है।

अनावेदक ने माननीय फोरम के उक्त आदेश को चुनौती देते हुए आवेदक को बिना कोई सूचना दिए एक अभ्यावेदन मानीनय एम.पी.ई.आर.सी नियामक आयोग भोपाल के समक्ष आवेदक के ज्ञान में लाए बिना तथा उक्त अभ्यावेदन के संबंध में आवेदक को बिना कोई सुनवाई का अवसर प्रदान कराए दिनांक 01/01/19 को आदेश पारित कराया जाकर उक्त प्रकरण को माननीय अधिनस्थ फोरम इंदौर के समक्ष पुनः रिमान्ड कराया गया था ।

उक्त प्रकरण माननीय अधिनस्थ फोरम के समक्ष रिमान्ड होने पर आवेदक ने एक आवेदन पत्र दिनांक 14/03/19 को प्रस्तुत करते हुए कंडिका क्र. ए से लगायत एल में उल्लेखित जानकारी अनावेदक से चाही गई थी ।

उक्त आवेदन पत्र का उत्तर दिनांक 04/04/19 को अनावेदक ने माननीय अधिनस्थ फोरम इंदौर के समक्ष प्रस्तुत करते हुए उक्त जवाब की कंडिका क्र. 3 में ''उक्त कनेक्शन ग्राम चिंचाला में स्थित होना स्वीकार किया है इसी प्रकार कंडिका क्र. 6 में फीडर सेप्रेशन के दौरान 'शहरी फीडर से वर्तमान में 24 घंटे विद्युत प्रदाय किया जाना भी उल्लेखित किया गया है'' इसी प्रकार कंडिका क्र. 8 में '' आवेदक को जिस स्थान पर उक्त कृषि कनेक्शन प्रदान किया गया है वह ''शहरी क्षेत्र की सीमा से लगा होकर 'शहरी क्षेत्र से विद्युत प्रदाय किया जा रहा है'' का उल्लेख किया गया है । किन्तु अनावेदक द्वारा उक्त कनेक्शन 'शहरी क्षेत्र में होने के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण कभी भी माननीय अधिनस्थ फोरम या माननीय आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, और ना ही उसकी कोई प्रति आवेदक को प्रदान की गई है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर माननीय अधिनस्थ फोरम द्वारा उक्त प्रकरण को पुनः सुना जाकर आवेदक की उक्त शिकायत को निरस्त कर दिनांक 26/04/19 को आलौच्य आदेश पारित किया गया है ।

अपील के आधार :–

1/ माननीय फोरम ने वर्तमान प्रकरण के तथ्यों एवं कानूनी बिंन्दुओं को नहीं समझकर गंभीर भूल की है ।

2/ माननीय फोरम ने वर्तमान प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज एवं उपलब्ध जानकारी पर गंभीरतापूर्वक ध्यान ना देकर गंभीर भूल की है ।

3/ माननीय फोरम द्वारा एक ही तथ्य से संबंधित वर्तमान प्रकरण में दो प्रथक–प्रथक रूप से आदेश पारित कर गंभीर भूल की है ।

4/ वर्तमान प्रकरण का मुख्य बिन्दु यह है कि अपीलार्थी का कृषि विद्युत कनेक्शन स्थापना दिनांक से आज दिनांक तक यथा स्थिति यथा स्थान तहसील बुरहानपुर ग्राम चिंचाला में स्थित है जो 'शासकीय विभाग के अनुसार उक्त क्षेत्र 'शहरी क्षेत्र में ना होकर ग्रामीण क्षेत्र में आता है वास्ते प्रमाण अपीलार्थी का उक्त कृषी कनेक्शन जिस भूमि पर स्थित है उक्त भूमि की ऋण पुस्तिका/खसरा कि प्रति संलग्न है ।

5/ प्रतिअपीलार्थी ने माननीय अधिनस्थ फोरम एवं माननीय आयोग के समक्ष किसी भी प्रकार से ऐसी कोई भी साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह बात स्पष्ट हो सके कि अपीलार्थी का कृषि विद्युत कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्र मेंना होकर 'शहरी क्षेत्र में स्थापित है फिर भी माननीय अधिनस्थ फोरम ने बिना कोई दस्तावेजी प्रमाण के प्रतिअपीलार्थी के मौखिक कथनों पर विश्वास करते हुए जो आलौच्य आदेश पारित किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ माननीय अधिनस्थ फोरम द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन क्र. 6487/2016 में पारित आदेश दिनांक 15/11/2016 एवं माननीय लोकपाल महोदय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 27/06/2017 का हवाला देते हुए वर्तमान प्रकरण का निराकरण किया गया है वह गलत है क्योंकि वर्तमान प्रकरण के तथ्य एवं उपरोक्त प्रकरणों के तथ्य भिन्न भिन्न होने से उक्त आदेश अपीलार्थी के वर्तमान प्रकरण पर बंधनकारक नहीं है इस तथ्य को भी नहीं समझकर माननीय फोरम द्वारा गंभीर भूल की गई है ।

7/ प्रतिअपीलार्थी ने अपनी सुविधा के दृष्टि से एवं अपने मनमाने ढंग से 'शासन कि फीडर सेप्रेशन योजना के दिशा निर्देश के विपरीत कार्यवाही करते हुए अपीलार्थी को बिना पूर्व सूचना दिये एवं उस से बिना सहमती प्राप्त किये उस के विद्युत कनेक्शन को ग्रामीण फीडर से हटाकर' शहरी फिर से जोड़ दिया गया है जिसका अपीलार्थी घोर विरोध करता है इस तथ्य को भी माननीय अधिनस्थ फोरम से नहीं समझकर गंभीर भूल की है।

8/ अपीलार्थी कि कृषि भूमि मात्र 2.420 एकड़ के होने से इस पर मात्र 5 एच पी का विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया गया है इस लिए इतने कम क्षेत्रफल के लिए मात्र 6 से 8 घंटे की विद्युत प्रदाय पर्याप्त होने से उसे 24 घंटा की विद्युत प्रदाय की आवश्यकता ही नहीं है तथा अपीलार्थी ने भी 24 घंटा विद्युत प्रदाय के लिए किसी भी प्रकार की मांग नहीं की है इस लिए निशचित रूप से उक्त कनेक्शन को 'शहरी क्षेत्र के विद्युत फीडर से हटाया जा कर ग्रामीण फीडर से जोड़ा जाना अत्यंत आवश्यक है इस तथ्य को भी

नहीं समझकर गंभीर भूल की है । कृपया इस संबंध में प्रतिअपीलार्थी से माह मार्च 2016 के पूर्व अपीलार्थी के विद्युत कनेक्शन पर किस विद्युत फीडर से विद्युत प्रदाय की जा रही थी उक्त जानकारी प्रतिअपीलार्थी से बुलाई जावे ।

9 / अपीलार्थी अन्य कानूनी बिन्दु अपने अंतिम तर्क के समय प्रस्तुत करने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखता है ।

10 / यह की वर्तमान अपील समय अवधि में प्रस्तुत की जा रही है एवं वर्तमान अपील के साथ आलौच्य आदेश दिनांक 26/04/2019 की प्रति संलग्न की जा रही है ।

प्रार्थनाः— माननीय लोकपाल महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त समस्त बिंदुओं के आधार पर अपीलार्थी की वर्तमान अपील स्वीकार की जाकार माननीय अधिनस्थ फोरम द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 26/04/20109 निरस्त करते हुए प्रतिअपीलार्थी को निर्देशित किया जावे की अपीलार्थी के उक्त कृषि विद्युत कनेक्शन को पुनः शहरी क्षेत्र से हटाकर ग्रामीण फीडर से अतिशीघ्र जोड़ा जाए तथा माह मार्च 2016 के आज दिनांक तक जारी किए गए समस्त विद्युत बिल को पूर्व अनुसार मीटर पद्धति के स्थान पर फ्लेट रेट के अनुसार जारी कराया जावे इतना ही नहीं उक्त बिल में जोड़ी गई अधिभार एवं सरचार्ज की राशि निरस्त करते हुए अपीलार्थी द्वारा उक्त अवधि में भुगतान की गई समस्त राशि का समायोजन किये जाने के भी आदेश पारित करने की कृपा करें ।

03. प्रकरण में प्रथम सुनवाई दिनांक 01.08.2019 को आयोजित की गई जिसमें आवेदक की ओर से आवेदक अधिवक्ता श्री बी.एच. अंसारी तथा श्री आमेर कुरेशी, कार्यपालन यंत्री, शहर संभाग, बुरहानपुर उपस्थित हुए ।

अनावेदक श्री कुरेशी ने प्रश्नाधीन प्रकरण में अपने लिखित प्रत्युत्तर से निम्न कथन प्रस्तुत किए है :—

<u>उत्तर ओर से प्रतिअपीलार्थी</u>

i) महोदय निवेदन है कि, कंपनी के अधीन खरगोन क्षेत्र के सिंचाई उपभोक्ताओं द्वारा मीटर में दर्ज खपत के स्थान पर फ्लेट रेट के अनुसार देयक जारी करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय इंदौर के समक्ष प्रकरण क्र0 6487/2016 श्री शिवराम एवं अन्य विरूद्ध कंपनी दायर किया गया था । उपरोक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 15.11.2016 को कंपनी के पक्ष में निर्णय पारित किया जाकर मीटर में दर्ज खपत के

आधार पर जारी किए विद्युत देयकों को सही दर्शाया गया है । आदेश की छायाप्रति अवलोकनार्थ प्रस्तुत है ।

साथ ही श्रीमान के समक्ष पूर्व में प्रस्तुत समान प्रवृत्ति के प्रकरण क्रमांक एल00–16/17 श्री हिरालाल रामचंद्र, प्रकरण क्रमांक एल00–17/17 श्री धन्नालाल बाबुलाल, प्रकरण क्रमांक एल00–18/17 श्री सुरेन्द्रसिंह मोहनसिंह, प्रकरण क्रमांक एल00–19/17 श्री गडबड रामू महाजन एवं प्रकरण क्रमांक एल00–20/17 श्री बाजीराव बाबुराव विरूद्ध कंपनी में श्रीमान द्वारा कंपनी के पक्ष में निर्णय पारित किए गए हैं । आदेश की छायाप्रतियां संलग्न है ।

ii) ऐसा कि, आवेदक को सर्विस क्रमांक 75–22–4220680000 श्री प्रभुदास मनोहरदास शाह, के नाम से सिंचाई उपयोग हेतु 5 हार्सपावर का मीटरर्ड कनेक्शन आवंटित है एवं आवेदक द्वारा मांग की जा रही है कि टैरिफ आदेश वर्ष 2015–2016 सिंचाई पंपों के लिए निर्धारित दर एल0व्ही0 5.4 फ्लैट रेट के अनुसार देयक जारी किए जावें ।

iii) यह कि, आवेदक को म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग भोपाल के टैरिफ आदेश वर्ष 2015–2016 सिंचाई पम्पों के लिए निर्धारित दर एल.व्ही. 5.1 के अनुसार बिलिंग की जा रही है।

iv) यह कि, कार्यालय प्रबंध निदेशक, मप्रपक्षेविविकलि. इन्दौर के परिपत्र क्रमांक प्रनिक्षे/पक्षे/05/वाणिज्य/15 इंदौर, दिनांक 01.01.2016 के अनुसार निर्देशित किया गया है कि शहरीय क्षेत्र के समस्त सिंचाई पम्प जिन्हें 24 घंटे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है । कनेक्शनों पर आगामी 15 दिवस में मीटर स्थापित कर दिए जाए एवं उसकी बिलिंग टैरिफ आदेश वर्ष 2015–2016 सिंचाई पम्पों के लिए निर्धारित दर एल0व्ही0 5.1 से की जाए एवं सब्सिडी शासन के आदेशानुसार की जावे ।

v) ऐसा कि, आवेदक का सिंचाई कनेक्शन (मीटरर्ड) शहरी क्षेत्र में होकर 24 घंटे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है, अतः आवेदक को म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग, भोपाल के टैरिफ आदेश वर्ष 2015–2016 सिंचाई पम्पों के लिए निर्धारित दर एल0व्ही0 5.1 एवं कंपनी के उपरोक्त परिपत्र अनुसार बिलिंग की जा रही है । परिपत्र की छायाप्रति संलग्न है ।

अपने उक्त लिखित प्रत्युत्तर में अनावेदक ने आवेदक की अपील में वर्णित अपील के आधार पर निम्न प्रत्युत्तर भी प्रस्तुत किया :–

प्रतिअपीलार्थी का अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के आधार पर प्रतिउत्तर :–

01. यह कि, कंडिका क्र0 1 अस्वीकार है, क्योंकि माननीय फोरम द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अभिकथनों का निरीक्षण किया जाकर विधिक नियमानुसार आदेश पारित किया गया है ।
02. यह कि, अपीलार्थी का माननीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर को इस आशय से आरोपित करना गलत है कि, अनावेदक के प्रकरण के तथ्य एवं विधिक बिन्दुओं को गंभीरतापूर्वक अवलोकन नहीं करके गंभीर भूल की है, अपितु माननीय फोरम द्वारा विधिक प्रावधानों के आधार पर आदेश पारित किया गया है ।
03. यह कि, माननीय फोरम द्वारा पूर्व में पारित आदेश के विरूद्ध म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग भोपाल के समक्ष कंपनी द्वारा प्रस्तुत अपील के तहत माननीय फोरम द्वारा पुनः सुनवाई के उपरांत पारित माननीय उच्च न्यायाल, इंदौर द्वारा प्रकरण क्र0 6487/2016 शिवराम अन्य विरूद्ध कंपनी एवं श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत समान प्रवृत्ति के प्रकरण में पारित निर्णय एवं विधिक प्रावधानों के आधार पर कंपनी के पक्ष में आदेश पारित किए गए हैं ।
04. यह कि, अपीलार्थी का कनेक्शन शहरी क्षेत्र की सीमा से लगा है एवं अपीलार्थी को शहरी क्षेत्र के फीडर सप्लाय किया जा रहा है जिस पर निरंतर 24 घंटे सप्लाय किया जा रहा है ।
05. यह कि, माननीय फोरम द्वारा पूर्व में पारित आदेश एवं अपीलार्थी को शहरी क्षेत्र के फीडर सप्लाय किया जा रहा है जिस पर निरंतर 24 घंटे सप्लाय किया जा रहा है अतः विधिक प्रावधानों के तहत कंपनी के पक्ष में निर्णय पारित किया गया है ।
06. यह कि, माननीय फोरम द्वारा अपने आदेश में माननीय उच्च न्यायाल, इंदौर के समक्ष दायर याचिका क्र0 6487/2016 शिवराम अन्य विरूद्ध कंपनी में शहरी क्षेत्र के सिंचाई उपभोक्ताओं की मीटर में दर्ज खपत के आधार पर बिलिंग किए जाने के आदेश पारित किए गए थे एवं श्रीमान के समक्ष पूर्व प्रस्तुत में उपरोक्त समान प्रवृत्ति के प्रकरणों में पारित निर्णयों के आधार पर माननीय फोरम द्वारा उपरोक्त प्रकरण में आदेश पारित किया गया है क्योंकि अपीलार्थी का कनेक्शन शहरी क्षेत्र से लगा होकर शहरी क्षेत्र की फीडर से सप्लाय किया जा रहा है । उपरोक्त क्षेत्र में अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को भी शहरी क्षेत्र में लागू टैरिफ आदेशानुसार बिलिंग की जा रही है ।
07. यह कि, शासन की मंशा अनुरूप एवं उपभोक्ताओं की सुविधा की दृष्टि से फीडर विभक्तिकरण कर 24 घंटे विद्युत सप्लाय की जा रही है ।
08. यह कि, उपभोक्ता का कनेक्शन जिस क्षेत्र में स्थापित है, उक्त क्षेत्र में स्थापित समस्त उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से फीडर विभक्तिकरण योजना के तहत

24 घंटे विद्युत सप्लाय की जा रही हैं । अपीलार्थी को म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग भोपाल द्वारा जारी टैरिफ आदेश एवं कंपनी द्वारा जारी परिपत्र क्र0 प्रनिक्षे/पक्षे/पक्षे/05/वाणिज्य/15 इंदौर, दिनांक 01.01.2016 के अनुसार बिलिंग की जा रही हैं एवं शासन द्वारा निर्धारित सबसीडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है ।

09. यह कि, कंडिका क्रमांक 9 एवं 10 स्वीकार है ।

माननीय लोकपाल महोदय से निवेदन है कि, आवेदक को नियमानुसार देयक जारी किए जा रहे हैं, साथ ही माननीय उच्च न्यायालय इंदौर द्वारा एवं श्रीमान द्वारा भी उपरोक्त समान प्रवृत्ति के प्रकरण में कंपनी पक्ष में निर्णय पारित किया है ।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि माननीय फोरम द्वारा पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपीलार्थी की अपील को संव्यय समाप्त करने का कष्ट करें ।

अनावेदक ने अपने लिखित प्रत्युत्तर के साथ माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के प्रकरण क्र0 W.P. No. 6487/2016 तथा समान प्रकृति के 14 अन्य प्रकरणों में परित संयुक्त आदेश दिनांक 15.11.2016 की छायाप्रति तथा विद्युत लोकपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक एल00–16/17, एल00–17/17, एल00–18/17 एवं एल00–19/17 में दिनांक 27.06.2017 को अलग–अलग पारित आदेशों की प्रतियां, अनावेदक कंपनी के मुख्य महाप्रबंध (वाणिज्य) के परिपत्र क्र0 प्रनिक्षे/पक्षे/05/वाणिज्य/15 दिनांक 01.01.2016 के परिपत्र की प्रति, माननीय म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2015–16 में जारी टैरिफ आदेश की टैरिफ श्रेणी एलवी–5 क प्रति संलग्न कर प्रस्तुत की ।

आवेदक अधिवक्ता ने प्रश्नाधीन प्रकरण के संबंध में कथन किया गया कि 05 एच.पी. का उनका विद्युत कनेक्शन क्र0 75–22–42068 विगत् कई वर्ष पूर्व प्रदान किया गया है, आवेदक के पिता का देहान्त हो जाने के कारण उक्त कनेक्शन का उपयोग उपभोग आवेदक द्वारा किया जा रहा है । उक्त कृषि विद्युत कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्र में था, परन्तु अनावेदक द्वारा आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिए एवं उसकी बिना सहमति प्राप्त किए अपनी सुविधा की दृष्टि से मनमाने ढंग से म0प्र0 शासन की फीडर सैप्रेशन योजना के दिशा–निर्देश का गलत ढंग से कार्यवाही की जाकर आवेदक के उक्त कृषि विद्युत कनेक्शन को ग्रामीण क्षेत्र से हटाकर शहरी क्षेत्र में जोड़कर कथित रूप से मीटर स्थापित कर टैरिफ केटेगरी एल.वी. 5.4 के स्थान पर एल.वी. 5.1 के अनुसार मासिक बिल जारी किए जा रहे हैं जो अनुचित होने से आवेदक के पंप कनेक्शन की बिलिंग एल.वी. 5.4(बी) के अनुसार किए जाने का आदेश जारी किया जावे ।

आवेदक अधिवक्ता के उक्त कथन पर अनावेदक ने कथन किया कि आवेदक का कनेक्शन शहरी क्षेत्र में है तथा उन्हें डोमेस्टिक फीडर से 24 घंटे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है, इसलिए

इस कनेक्शन के लिए मीटर स्थापित कर टैरिफ कैटेगरी एल.वी. 5.1 में मीटर द्वारा दर्ज खपत के आधार पर बिलिंग की जा रही है, जो कि सही है । म0प्र0 शासन द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 25.03.2006 के संदर्भ में आवेदक के कनेक्शन की भौगोलिक स्थिति के संबंध में अनावेदक ने आवश्यक जानकारी अगली सुनवाई में प्रस्तुत करने का कथन किया ।

04. दिनांक 20.08.2019 को आयोजित सुनवाई में आवेदक की ओर से आवेदक अधिवक्ता श्री बी. एच. अंसारी तथा अनावेदक की ओर से श्री आमेर कुरेशी, कार्यपालन यंत्री, शहर संभाग, बुरहानपुर उपस्थित हुए ।

अनावेदक ने म0प्र0 राजपत्र में दिनांक 16 मई 2014 को प्रकाशित आयुक्त इन्दौर द्वारा बुरहानपुर नगर पालिका निगम के वार्डों का विस्तार अवधारित करने संबंधी अधिसूचना क्र0 599 दिनांक 09 मई 2014 की प्रति प्रस्तुत की तथा निम्नानुसार कथन किए –

प्रश्नाधीन प्रकरण में आवेदक के कनेक्शन को 11 केवी टाऊन – 2 फीडर से विद्युत प्रदाय किया जा रहा है जो कि 33/11 के0व्ही0 लालबाग सब स्टेशन बुरहानपुर से निकलता है । इस फीडर से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को जिनमें पंप उपभोक्ता भी शामिल हैं को विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। इस फीडर से सम्बद्य ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू तथा कृषि पंप उपभोक्ताओं के विवरण अगली सुनवाई में प्रस्तुत किए जाएंगे । लेकिन यह सही है कि इस फीडर से सम्बद्य सभी कृषि पंप उपभोक्ताओं चाहे वे शहरी क्षेत्र में हो या ग्रामीण क्षेत्र में हो उनको मीटर लगाकर एल.वी. 5.1 टैरिफ केटेगरी के अंतर्गत बिलिंग की जा रही है क्योंकि मुख्यतः शहरी क्षेत्र का फीडर होने के कारण इस फीडर से 24 घंटे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है तथा प्रश्नाधीन प्रकरण की अवधि के दौरान भी प्रतिदिन 24 घंटे विद्युत प्रदाय किया गया था। मध्यप्रदेश शासन के नोटिफिकेशन क्र0 2010–एफ, 13–05–तेरह–2006 दिनांक 25 मार्च 2006 के संदर्भ में आवेदक के पंप कनेक्शन की भौगोलिक स्थिति अर्थात् यह पंप कनेक्शन का स्थान ग्रामीण क्षेत्र में आता है या शहरी क्षैत्र में, के संबंध में अनावेदक ने कथन किया कि इस संबंध में वास्तविक जानकारी नगर निगम से ली जा रही है किन्तु इस जानकारी को प्राप्त करने में कुछ समय लगना सभांवित है, अतः सम्पूर्ण जानकारी आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करने के लिए 30 दिवस का समय दिए जाने का निवेदन है।

05. सुनवाई दिनांक 23.09.2019 को आवेदक अधिवक्ता स्वास्थ्य कारणों से अनुपस्थित । अनावेदक की ओर से उपस्थित श्री विनय पूनीवाला, कार्यालय सहायक – ग्रेड II, बुरहानपुर की ओर से प्रकरण में सुनवाई आगे बढ़ाए जाने संबंधी अनावेदक का पत्र क्र0 3442 दिनांक 21.09.2019 प्रस्तुत ।

06. दिनांक 10.10.2019 को आयोजित सुनवाई में आवेदक की ओर से आवेदक अधिवक्ता श्री बी.एच. अंसारी, बुरहानपुर उपस्थित । अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।

आवेदक अधिवक्ता ने कथन किया कि :–

(1) माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी सप्लाई टैरिफ आदेश 2018–19 में टैरिफ शेड्यूल एल.वी. – 5 की कण्डिका 1.2 एवं 1.3 के अनुसार फ्लैट रेट टैरिफ अनुसार कनेक्शन पर मीटर लगाए जाने की स्थिति में अनावेदक द्वारा मीटर में दर्ज खपत के आधार पर पिछले बिल तैयार किए जा सकते हैं, किन्तु उपभोक्ता द्वारा फ्लैट रेट टैरिफ के हिसाब से ही भुगतान किया जाना है तथा अंतर की राशि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सबसिडी के रूप में वितरण कम्पनी को दिया जाना है । इस संबंध में स्पष्ट निर्देश का उल्लेख टैरिफ आदेश में होने के बाद आवेदक को मीटर में दर्ज खपत के आधार पर टैरिफ शेड्यूल एल.वी. 5.1 के अनुसार तैयार बिल की राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता । इस संबंध में अपने कथन की पुष्टि के संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा टैरिफ शेड्यूल पेज 156 एवं 158 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई ।

(2) आवेदक के विद्युत उपयोग का स्थान (कनेक्शन का स्थान) ग्रामीण क्षेत्र में होने की अपनी दलील के पक्ष में उनके द्वारा खसरे की नकल प्रस्तुत की गई जो कि उनके द्वारा मध्यप्रदेश शासन के भौगोलिक नक्शा द्वारा दिनांक 17.09.2019 को ऑनलाईन निकाली गई थी। उनका कथन है कि इस खसरे में संबंधित भूमि का हल्का चिंचाला 007 में दर्शाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि यह स्थान जहां आवेदक द्वारा विद्युत कनेक्शन का उपयोग किया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्र में आता है अन्यथा खसरे में हल्का दर्शाएं जाने के स्थान पर शहरी क्षेत्र का उल्लेख होता ।

07. दिनांक 13.11.2019 को आयोजित सुनवाई में आवेदक की ओर से आवेदक अधिवक्ता श्री बी.एच. अंसारी, बुरहानपुर तथा अनावेदक की ओर से श्री आमेर कुरेशी, कार्यपालन यंत्री, सिटी डिवीजन, बुरहानपुर उपस्थित ।

अनावेदक द्वारा सुनवाई के दौरान उक्त प्रकरण में अपना लिखित जवाब दिनांक 13.11.2019 प्रस्तुत किया ।

दिनांक 10.10.2019 की सुनवाई में आवेदक अधिवक्ता ने सूचित किया गया था कि आवेदक की भूमि ग्राम चिंचाला हल्का नं0 198 एवं 199 में आती है एवं इस संबंध में उनके द्वारा म0प्र0 शासन की वेबसाईट से ऑनलाईन निकाली गई जानकारी का पत्रक भी प्रस्तुत किया था ।

अनावेदक ने अपने लिखित प्रत्युत्तर से कार्यालय नगर पालिक निगम बुरहानपुर के अनावेदक को संबोधित पत्र क्रमांकः यंत्री/2019/27 दिनांक 23.09.2019 की छायाप्रति प्रस्तुत की जिसमें आयुक्त नगर पालिक निगम बुरहानपुर ने सूचित किया है कि ग्राम चिंचाला के खसरा नं. 198 एवं 199 नगर पालिक निगम, बुरहानपुर सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित है । अनावेदक का कथन है कि इससे स्पष्ट है कि आवेदक के कनेक्शन का स्थान नगरीय सीमा के अन्दर स्थित है । आवेदक अधिवक्ता की ओर से इस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई ।

पिछली सुनवाई दिनांक 10.10.2019 को आवेदक अधिवक्ता द्वारा कथन कर सप्लाई टैरिफ आदेश 2018–19 के टैरिफ शेड्यूल एलवी–05 की कण्डिका 1.2 एवं 1.3 से संबंधित दिए गए तर्क के विषय में अनावेदक का कथन है कि इस टैरिफ शेड्यूल एलवी–5 की टैरिफ श्रेणी एलवी 5.4 के नीचे पृष्ठ क्रमांक 157 पर दिए गए नोट के अनुसार कृषि पंपों के लिए अलग किए गए फीडर के अलावा अन्य फीडर से नगरीय क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय किए जाने पर उनकी बिलिंग मीटर में दर्ज खपत के आधार पर जारी किए जाने हैं तद्नुसार आवेदक के पंप कनेक्शन, जिसको की पंप फीडर से विद्युत प्रदाय न करते हुए 24 घंटे वाले फीडर से विद्युत प्रदाय दी जा रही है, पर मीटर लगाकर माह अप्रैल 16 से मीटर में दर्ज खपत के अनुसार टैरिफ श्रेणी एलवी 5.1 के अनुसार बिल तैयार किए जा रहे हैं जो पूर्णतया नियमानुसार है ।

08. सुनवाई दिनांक 12.12.2019 आवेदक की ओर से आवेदक अधिवक्ता श्री बी.एच. अंसारी, बुरहानपुर उपस्थित ।

अनावेदक की ओर से श्री नितिन यादव, जूनियर इंजीनियर, बुरहानपुर उपस्थित ।

अनावेदक प्रतिनिधि ने अनावेदक का लिखित उत्तर प्रस्तुत किया जिसमें पुनः अनावेदक कंपनी द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 01.01.2016 के परिपालन में माह फरवरी/मार्च 2016 से प्रतिमाह मीटर में दर्ज खपत के आधार पर नियमानुसार विद्युत देयक जारी किया जाना सूचित है । इसके पक्ष में अनावेदक ने माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर द्वारा याचिका क्र0 6487/– 2016 एवं 14 अन्य समान याचिकाओं में दिनांक 15.11.2016 को पारित संयुक्त आदेश का दृष्टांत प्रस्तुत किया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कृषि पंपों पर मीटर लगाकर बिलिंग किए जाने को अनावेदक अनुज्ञप्तिधारी के अधिकार क्षेत्र में एवं नियमानुसार होना बताया गया है ।

उभयपक्षों का प्रकरण में आगे कोई अतिरिक्त कथन नहीं किए जाने के कथन पर सुनवाई समाप्त करते हुए प्रकरण को आदेश हेतु सुरक्षित किया गया ।

09. आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील, विभिन्न सुनवाईयों में किए गए लिखित/मौखिक कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेज/साक्ष्यों से निम्न तथ्य प्राप्त होते हैं :–

(1) आवेदक ने अपनी अपील में तर्क दिया था कि उनका कृषि पंप शहरी क्षैत्र में न होकर ग्रामीण क्षैत्र में स्थित है और चूंकि आवेदक के पास केवल 2.42 एकड़ ही कृषि भूमि है जिसके लिए उनके 5 एच0पी0 के कृषि पंप को मात्र 6–8 घंटे का विद्युत प्रदाय ही पर्याप्त है । इस आधार पर उनके द्वारा फोरम के आदेश दिनांक 26.04.2019 को निरस्त कर कृषि पंप को शहरी क्षैत्र के फीडर से हटाकर ग्रामीण क्षैत्र के फीडर से जोड़कर फ्लेट रेट टैरिफ पर बिलिंग किए जाने तथा मार्च 2016 से की गई बिलिंग को फ्लेट रेट पर संशोधित कर बिल में जोड़ी गई अधिभार की राशि समाप्त कर उनके द्वारा इस अवधि में किए गए भुगतान का समायोजन किए जाने संबंधी अपील प्रस्तुत की है ।

(2) आवेदक के कृषि पंप का विद्युत संयोजन लगभग 12–14 वर्षों पुराना होकर चिंचाला में स्थित है जो वर्तमान में बुरहानपुर नगरपालिका निगम सीमा (शहरी क्षैत्र) में होना नगर पालिका निगम द्वारा प्रमाणित किया गया है ।

(3) अनावेदक के कथनानुसार आवेदक के कृषि पंप को लालबाग सबस्टेशन से निकलने वाले शहरी क्षैत्र के 11 के.व्ही. टाउन –II फीडर से 24x7 विद्युत प्रदाय किया जा रहा है । आवेदक ने अनावेदक के इस कथन पर कोई मौखित अथवा लिखित विरोध दर्ज नहीं किया है जिससे स्वतः सिद्ध है कि आवेदक के कृषि पंप को 24x7 विद्युत प्रदाय वाले फीडर से बिजली प्राप्त हो रही है ।

(4) अनावेदक का कथन है कि अनुज्ञप्तिधारी वितरण कंपनी के परिपत्र क्र0 प्रनिक्षे/पक्षे/05/वाणिज्य/15 दिनांक 01.01.2016 जिसमें शहरी क्षैत्र के सिंचाई उपभोक्ताओं के कनेक्शन पर मीटर लगाने तथा मीटर में दर्ज खपत के आधार पर बिलिंग किया जाना, निर्देशित है, के अनुसार आवेदक के कृषि पंप पर फरवरी 2016 में मीटर लगाकर मार्च 2016 से मीटर में दर्ज खपत के आधार पर की जा रही है ।

(5) अनावेदक के इस कथन कि पूर्व में समान प्रकृति के अन्य प्रकरणों यथा प्रकरण क्र0 एल00–16/17, एल00–17/17, एल00–18/17, एल00–19/17 एवं एल00–20/17 में विद्युत लोकपाल द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के पक्ष में निर्णय दिए गए हैं, के संबंध में अनावेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई इन आदेशों तथा इन आदेशों में उल्लेखित माननीय उच्च न्यायालय इन्दौर खण्डपीठ द्वारा प्रश्नाधीन प्रकरणों की समान प्रकृति के प्रकरणों (WP No. 6487/2016 तथा 14 अन्य) में पारित आदेश दिनांक 15.11.2016 की छायाप्रतियों का अवलोकन किया ।

अवलोकन से ज्ञात होता है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कृषि पंपों के अनमीटर्ड कनेक्शनों पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मीटर लगाए जाने तथा मीटर की खपत के आधार पर माननीय म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश अनुसार बिलिंग किए जाने को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 55 (1) तथा धारा 65 के तहत वैधानिक रूप से उचित पाते हुए प्रस्तुत सभी व्यक्तिगत अपीलें निरस्त की हैं ।

माननीय उच्च न्यायालय इन्दौर खण्डपीठ के समान विषय वस्तु के प्रकरणों में दिनांक 15.11.2016 को पारित उक्त संयुक्त आदेश के प्रकाश में प्रश्नाधीन प्रकरण में विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम इन्दौर–उज्जैन क्षैत्र द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.04.2019 में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाया जाता है । इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण तथ्य दिनांक 12.12.2019 को आयोजित अंतिम सुनवाई में अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदक अपीलार्थी के कृषि पंप की उपभोक्ता पासबुक से ज्ञात हुआ कि फोरम द्वारा दिनांक 26.04.2019 को आदेश पारित किए जाते समय आवेदक अपीलार्थी के प्रश्नाधीन कृषि पंप विद्युत कनेक्शन के विद्युत बिल के विरूद्ध रू0 79940/– की राशि बकाया थी तथा आवेदक अपीलार्थी द्वारा विद्युत कनेक्शन के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के पूर्व माननीय मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के विनियम **''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम 2009''** की कण्डिका 3.37 के अनुपालन में बकाया राशि न्युनतम 50 प्रतिशत भुगतान अनावेदक को किया जाना चाहिए, किन्तु आवेदक द्वारा फोरम के आदेश दिनांक 26.04.2019 के बाद से लगातार नवम्बर 2019 तक विद्युत बिलों का कोई भुगतान नहीं किया जिससे बकाया राशि अक्टूबर 2019 के विद्युत बिल के अनुसार बढ़कर 91338/– रू0 की गई । इससे निष्कर्ष प्राप्त होता है कि उक्त कण्डिका 3.37 का अनुपालन आवेदक अपीलार्थी द्वारा नहीं किए जाने से उनके द्वारा प्रस्तुत अपील विद्युत लोकपाल के समक्ष विधिक रूप से प्रचलन योग्य नहीं पाई जाती है और इस आधार पर इसको निरस्त किया जाना ही न्यायोचित होगा ।

10. आवेदक की अपील अस्वीकार कर विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम इन्दौर–उज्जैन क्षैत्र के आदेश दिनांक 26.04.2019 को यथावत् रखे जाने का निर्णय लिया जाता है । इस निर्णय के साथ प्रकरण निराकृत होकर समाप्त होता है ।

11. उभय पक्ष प्रकरण में हुए अपने–अपने व्यय को स्वयं वहन करेंगे। आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति के साथ पक्षकारों को अलग से सूचित किया जाए ।

विद्युत लोकपाल